भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
सेंटर-1, विश्व व्यापार केंद्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई-400 005

(मास्टर अधिसूचना - 30 जून 2007 को यथा संशोधित)

अधिसूचना सं. डीएफसी .55/डीजी(ओ)-87, दिनांक 15 मई 1987

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जे और 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसके लिए प्राधिकृत करनेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आवश्यक मानकर कि नीचे उल्लिखित निदेश दिया जाना जनहित में है, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके पश्चात विनिर्दिष्ट निदेश देता है।

भाग-I - प्रारंभिक

1. निदेशों का संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

इन निदेशों को "आवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशक, 1987" के रूप में जाना जाएगा। वे 15 मई 1987 से प्रभावी रूप से लागू होंगे और इन निदेशों के प्रारंभ होने की तारीख किसी भी संदर्भ के लिए वही तारीख मानी जाएगी।

भाग II - निदेशों की व्यापकता

2. ये निदेश ऐसी प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी पर लागू होंगे अर्थात ऐसी बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है, जो किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत, *[गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998]*[1] अथवा विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 जैसा भी में अंतर्निहित परिभाषा के अनुसार, मामला हो, चाहे जिस किसी भी नाम से अंशदानों अथवा अभिदानों अथा युनिटों अथवा प्रमाण-पत्रों अथवा अन्य लिखतों द्वारा एकमुश्त रूप में अथवा किश्तों में अथवा अन्य किसी तरीके से कोई भी जमाराशि प्राप्त करती है और जो निम्नलिखित नहीं है।

i) उपकरण पट्टेदारी कंपनी

[1] अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

ii) किराया खरीद वित्त कंपनी

iii) आवास वित्त कंपनी

iv) बीमा कंपनी

v) निवेश कंपनी

vi) ऋण कंपनी

vii) पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी

viii) विविध गैर-बैंकिंग कंपनी और

[(ix) पारस्परिक लाभ कंपनी][2]

3. परिभाषा

इन निदेशों में, जबतक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "जमाराशि" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45आइ(बीबी) में समनुदेशित है;

(ख) "जमाकर्ता" का अर्थ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कंपनी में राशि जमा की है;

(ग) शब्द या अभिव्यक्तियां जो प्रयुक्त हुई हैं लेकिन यहां पारिभाषित नहीं है लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है। अन्य कोई शब्दावली या अभिव्यक्तियां जो इसमें अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) में अपरिभाषित हैं किंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

4. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशि की स्वीकृति

12 अप्रैल, 1993[3] को और इस दिन से कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी ऐसी कोई भी जमाराशि जो मांग अथवा सूचना पर अथवा इस तरह की जमाराशि की प्राप्ति की तिथि[4] से 12 माह से कम अथवा 84 माह[4] से अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय हो, स्वीकार नहीं करेगी अथवा कंपनी को उक्त तिथि के पहले या बाद में प्राप्त किसी जमाराशि का नवीकरण नहीं करेगी, जब तक ऐसी जमाराशि नवीकरण की तिथि से 12 महीने से पहले और 84 महीने[4] के बाद प्रतिदेय नहीं हो।

---

[2] अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून 2001 द्वारा शामिल किया गया।

[3] अधिसूचना सं. डीएफसी (सीओसी)-68/ईडी(एस)-93 दिनांक 19 अप्रैल 1993 द्वारा प्रतिस्थापित

[4] अधिसूचना सं. डीएफसी (सीओसी)-68/ईडी(एस)-93 दिनांक 19 अप्रैल 1993 द्वारा प्रतिस्थापित

स्पष्टीकरण

जहां कोई जमाराशि किश्तों में प्राप्त होती है, वहां जमाराशि की अवधि की गणना पहली किश्त की प्राप्ति की तिथि से की जाएगी।

[5]**[4ए.** कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किसी जमाकर्ता/ग्राहक से उसकी सहमति से/बिना उसकी सहमति से कंपनी द्वारा चलाई जा रही किसी योजना के लिए प्रक्रिया या रखरखाव प्रभार या अन्य किसी प्रभार, किसी भी नाम से कोई राशि नहीं लेगी।]

[6] [बशर्ते कोई कंपनी किसी नये जमाकर्ता/ग्राहक से ब्रोशर (विवरणिका) जारी करने, आवेदन पत्र के लिए या जमाकर्ता के खाते की देखभाल के लिए, जहां इस तरह की जमाराशि का कुल वार्षिक अभिदान 500/- रुपए से कम नहीं है, देखभाल के लिए (सेवा-शुल्क के रूप में) किए गए व्ययों की लागत के तौर पर एक बार (वापस न करने योग्य) अधिकतम 80/- रुपए (अस्सी रुपए मात्र) की प्रभार लगा सकती है। जहां वसूली गई जमाराशि 500/- रुपए से कम है, वहां एक बार दी जाने वाली और वापस नहीं की जानेवाली 80/-[7] रुपए की उक्त राशि में यथानुपात कटौती की जाएगी, दैनिक जमाराशि योजना के अंतर्गत प्राप्त की जानेवाली जमाराशि पर इस तरह की कोई राशि नहीं वसूली जाएगी]

[8]**[जमाराशि की वसूली करने के लिए शाखाओं और एजेंटों की नियुक्ति]**

4 बी. *13 जनवरी, 2000 को और उस दिन से कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि वसूलने के लिए केवल नीचे दिए गए निर्धारित प्रावधानों को छोड़कर अपनी शाखाएं/ अपना कार्यालय नहीं खोल सकती है अथवा एजेंट नहीं नियुक्त कर सकती है;*

(i) *कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जिसके पास भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइए के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र है, अपनी शाखाएं खोल सकती है अथवा अपने एजेंट नियुक्त कर सकती है अगर इसकी*

(क)	*निवल स्वाधिकृत निधियां 50 करोड़ रुपए तक है*	*उस राज्य के अंतर्गत जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है; और यदि*

[5] अधिसूचना सं. डीएफसी(सीओसी)-69/ईडी (एस)-93 दिनांक 19 अप्रैल 1993 द्वारा शामिल किया गया।
[6] अधिसूचना सं. डीएफसी(सीओसी)-82 ईडी (जेआरपी)-96 दिनांक 22 मार्च 1996 द्वारा प्रतिस्थापित
[7] अधिसूचना सं. 113/ईडी(जी)-97 दिनांक 11 नवंबर 1997 द्वारा शामिल किया गया।
[8] अधिसूचना सं.डीएनबीएस.136/सीजीएम(वीएसएनएम)-2000 दिनांक 13 जनवरी 2000 द्वारा शामिल किया गया।

(ख) निवल स्वाधिकृत निधियां भारत में कहीं भी

50 करोड़ रुपए से अधिक है

(ii) (क) अपनी शाखा/कार्यालय खोलने के लिए, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तावित शाखा खोलने के अपने इरादे की सूचना देनी होगी;

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में है अथवा संबंधित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के हित में है अथवा अन्य किन्हीं संगत कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है तथा उस अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को इससे सूचित कर सकता है;

(ग) यदि इस तरह की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक द्वारा ऊपर (ख) में दिए गए प्रस्ताव की अस्वीकृति की सूचना नहीं दी जाती है तो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकती है।

शाखाओं का समापन

4 सी. *कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपनी शाखा/अपने कार्यालय के प्रस्तावित समापन के नब्बे दिन पहले किसी राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र और संबंधित स्थान में प्रचलित स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में उक्त शाखा/कार्यालय को बंद किए जाने के इरादे की सूचना प्रकाशित कराए बिना और रिज़र्व बैंक को प्रस्तावित समापन के कम-से-कम नब्बे दिन पहले सूचित किए बिना अपनी शाखा/अपने कार्यालय को समाप्त नहीं करेगी।*

[9]***[विवेकपूर्ण मानदंडों का अनिवार्य अनुपालन***

4 डी. कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अधिसूचना सं. डीएफसी.119/डीजी(एसपीटी)-98 दिनांक 31 जनवरी 1998 में निहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना जमाराशि स्वीकार या उसका नवीकरण नहीं करेगी।]

5. प्रतिलाभ की न्यूनतम दर

[10][11 नवंबर 1997 को और उस दिन से किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा उस तिथि से प्राप्त जमाराशियों से संबंधित ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा किसी भी नाम से, अन्य लाभ के रूप में देय राशि नीचे परिगणित राशि से कम नहीं होगी-

[9] अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 143/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 दिनांक 30 जून 2000 द्वारा शामिल।

(i) एकमुश्त रूप में अथवा मासिक रूप में अथवा दीर्घ अंतरालों में जमा की गई राशि पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में परिगणित);

(ii) दैनिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर (वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में परिगणित)

बशर्ते कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद लेकिन जिस अवधि के लिए स्वीकार की गई थी उस अवधि के समाप्त होने के पहले अगर जमाकर्ता के अनुरोध पर जमाकर्ता को जमाराशि की चुकौती करती है, तो कंपनी द्वारा ऐसी जमाराशि पर ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभों के रूप में देय राशि में उस तरह की जमाराशि पर उस अवधि के लिए दिए जाने वाले लाभों की दर से एक प्रतिशत की कटौती कर ली जाएगी जो कंपनी सामान्यतः ब्याज, बोनस, प्रीमियम अथवा अन्य लाभों के रूप में ऐसी जमा राशि पर उक्त अवधि के लिए स्वीकार करने पर भुगतान करती ।

[11][*1 जुलाई 2000 और उस दिन से किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा उक्त तिथि से प्राप्त जमाराशियों से संबधित ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा किसी नाम से अन्य लाभ के रूप में देय राशि नीचे परिगणित राशि से कम नहीं होगी-*

(i) एकमुश्त रूप में अथवा मासिक रूप में अथवा दीर्घ अंतरालों में जमा की गई राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में परिगणित);

(ii) दैनिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई राशि पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में परिगणित);

बशर्ते कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद लेकिन जिस अवधि के लिए जमा राशि स्वीकार की गई थी, उस अवधि के समाप्त होने के पहले अगर जमाकर्ता के अनुरोध पर जमाकर्ता को जमाराशि की चुकौती करती है,तो कंपनी द्वारा ऐसी जमाराशि पर ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभों के रूप में देय राशि में से उस तरह की जमाराशि पर उस अवधि के लिए दिए जानेवाले लाभों की दर से एक प्रतिशत की कटौती कर ली जाएगी जो कंपनी

---

[10] अधिसूचना सं. 113 दिनांक 11 नवंबर 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

[11] अधिसूचना सं. 143 दिनांक 30 जून 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

सामान्यतः ब्याज, बोनस, प्रीमियम अथवा अन्य लाभों के रूप में ऐसी जमा राशि पर उक्त अवधि के लिए स्वीकार करने पर भुगतान करती है।]

[12]*[1 अप्रैल 2003 से को और उस दिन किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा उक्त तिथि से प्राप्त जमाराशियों से संबंधित ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा किसी नाम से अन्य लाभ के रूप में देय राशि नीचे परिगणित राशि से कम नहीं होगी-*

(i) *एक मुश्त रूप में अथवा मासिक रूप में अथवा दीर्घ अंतरालों में जमा की गई राशि पर पांच प्रतिशत की दर से (वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में परिगणित); और*

(ii) *दैनिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई राशि पर साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में परिगणित):*

कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद लेकिन जिस अवधि के लिए जमाराशि स्वीकार की गई थी, उस अवधि के समाप्त होने के पहले अगर जमाकर्ता के अनुरोध पर जमाकर्ता को जमाराशि की चुकौती करती है, तो कंपनी द्वारा ऐसी जमाराशि पर ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ के रूप में देय राशि में से उस तरह की जमा राशि पर उस अवधि के लिए दिए जानेवाले लाभों की दर से एक प्रतिशत की कटौती कर ली जाएगी, जो कंपनी सामान्यतः ब्याज, बोनस, प्रीमियम अथवा अन्य लाभों के रूप में ऐसी जमाराशि पर उक्त अवधि के लिए स्वीकार करने पर भुगतान करती ।]

जमाराशियों की चुकौती से संबंधित सामान्य प्रावधान

जमाकर्ताओं को जमाराशियों की परिपक्वता की सूचना देना

[13][**5 ए.** अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह जमाकर्ता को जमाराशि की परिपक्वता के ब्योरों की सूचना जमाराशि की परिपक्वता की तिथि से कम-से-कम दो महीने पहले दे।"

''जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में न्यूनतम

अवरुद्धता अवधि और चुकौती

5 बी. 5 अक्तूबर, 2004 के और उस दिन से,

(i) कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग अपनी जमाराशि की प्राप्ति की तिथि से बारह महीनों की अवधि (अवरुद्धता अवधि) के भीतर समयपूर्व चुकौती नहीं करेगी:

---

[12] अधिसूचना सं. 169 दिनांक 31 मार्च 2003 द्वारा प्रतिस्थापित

[13] अधिसूचना सं. 180 दिनांक 5 अक्तूबर 2001 द्वारा शामिल किया गया

बशर्ते कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, अवरुद्धता अवधि के भीतर भी, उत्तरजीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं को (संयुक्त रूप से उत्तरजीवी होने के मामले में) अथवा मृत जमाकर्ता के नामिती अथवा वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को उनके अनुरोध पर और उसे प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र से संतुष्ट होने की स्थिति में ही जमाराशि की समयपूर्व चुकौती कर सकती है।

किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जो समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है, द्वारा जमाराशियों की चुकौती

(ii) उप पैरा (i) मे निहित प्रावधानों के अधीन, कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, जो समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है, 5 अक्तूबर 2004 से किसी जमाराशि की समयपूर्व चुकौती की अनुमति अकेले अपने विवेकाधिकार से दे सकती है:

बशर्ते ऐसी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, जमाकर्ता के अनुरोध पर जमाराशि की तिथि से बारह महीने समाप्त होने बाद समयपूर्व चुकौती कर सकती है, लेकिन वह जमाराशि उपर्युक्त तिथि से पहले स्वीकार की गई हो और जमाराशि की स्वीकृति की शर्तें इसकी अनुमति देती हों।

किसी समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती

(iii) उक्त उप-पैराग्राफ(i) में निहित प्रावधानों के अधीन किसी जमाकर्ता को आकस्मिक स्वरूप के व्यय की पूर्ति में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी निम्नानुसार जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती कर सकता है:

बहुत छोटी जमाराशि की पूरी या 10,000 रुपए तक किंतु उससे अधिक नहीं, अन्य जमाराशि की चुकौती कर सकती है।

[14]समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों का समूहन

(iv) किसी समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा समयपूर्व चुकौती के प्रयोजन से जमाकर्ता के एकल/पहले नामवाले सभी जमा खाताओं का उसी रूप में एक समूह बनाया जायेगा और उसे एक जमा खाता के रूप में माना जाएगा;

बशर्ते यह खंड जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में की जानेवाली समयपूर्व चुकौती के लिए लागू नहीं होगा जैसा कि उपपैरा (i) में प्रावधान किया गया है। [14]

जमाराशियों की समयपूर्व चुकौती पर ब्याज की दर

---

[14] अधिसूचना सं. डीएनबीएस 183/सीजीएम (पीके)-2005 दिनांक 9 दिसंबर 2005

(v) अगर कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, चाहे अपने एकल विवेकाधिकार से या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जो भी मामला हो, जमाराशि की स्वीकृति की तिथि से बारह महीनों के बाद लेकिन उसकी परिपक्वता अवधि के पहले (जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में की जानेवाली समयपूर्व चुकौती भी शामिल) जमाराशि की चुकौती करती है तो उसे निम्नलिखित दरों पर ब्याज का भुगतान करना होगाः

12 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन परिपक्वता तिथि से पहले	जमाराशि जिस अवधि तक जमा रही है, उस पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ब्याज देय होगा अथवा यदि उस अवधि के लिए कोई दर निर्दिष्ट नहीं है तो जिस दर पर अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने की न्यूनतम दर से 3 प्रतिशत कम दर पर ब्याज देय होगा।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजनार्थ

(क) 'समस्यागत अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी' का अर्थ ऐसी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी है-

(i) जिसने परिपक्वता अवधि पूर्ण जमाराशि की चुकौती के लिए की गई किसी वैध मांग को पांच कार्य दिवसों के अंदर पूरा करने से इनकार कर दिया हो अथवा ऐसा करने में वह असफल रही हो; अथवा

(ii) जो किसी लघु जमाकर्ता को किसी जमाराशि अथवा उसके किसी भाग अथवा उस पर देय ब्याज की चुकौती में हुई अपनी चूक के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 एए के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड को सूचित करती है; अथवा

(iii) जो अपनी जमाराशि के दायित्वों की पूर्ति के लिए चलनिधि प्रतिभूतियों के आहरण के लिए रिज़र्व बैंक से प्रस्ताव करती है; अथवा

(iv) जो बैंक के समक्ष अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 के प्रावधानों अथवा जमाराशि चुकाने में होनेवाली चूक को टालने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों अथवा अन्य दायित्वों से किसी तरह की राहत अथवा रियायत अथवा छूट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती है; अथवा

(v) रिज़र्व बैंक द्वारा बिना किसी अनुरोध के जमाराशि की वापसी अथवा जमाराशियों की चुकौती नहीं कर पाने के बारे में जमाकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर अथवा बकायों की चुकौती नहीं कर पाने के बारे में कंपनी के उधारकर्ताओं की

शिकायतों के आधार पर समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के रूप में पहचान की गई है।

(ख) 'बहुत छोटी जमाराशि' का अर्थ जमाराशियों की कुल राशि अधिकतम 10,000/- रुपए है जो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी की सभी शाखाओं में एकल अथवा प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम से उसी रूप में जमा है।"]

[15] **[अनिवासी भारतीयों से प्राप्त जमाराशियों पर प्रतिलाभ की न्यूनतम दर]**

[16]**[5 सी.]** 19 सितंबर, 2003 को और उस दिन से कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. एफईएमए.5/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 के अनुसार अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा की जानेवाली ऐसी जमाराशियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से अधिक दर पर आमंत्रित अथवा स्वीकृत अथवा उसका नवीकरण नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण :उपर्युक्त जमाराशियों की अवधि न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष होगी।

[17]**[6. जमाकर्ताओं की सुरक्षा**

1 मई, 1997 को और से

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी ऐसी एक राशि का, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइबी के अंतर्गत परिसंपत्ति के रूप में निवेश की गई राशि शामिल है, ऐसी प्रतिभूतियों में या अन्य प्रकार के निवेशों में निवेश करेगी अथवा निवेश करना जारी रखेगी, जो भाररहित होंगे और निम्नानुसार चालू बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर जिनका मूल्य नहीं आंका जायेगा, और जो 30 जून, 1997 को समाप्त तिमाही के किसी दिन कारोबार की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी दिन जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि से कम नहीं होगी। उक्त राशि दूसरी अगली तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर (चाहे ऐसी राशियां देय हो गई हों या नहीं) शेष होगी। अर्थात् -

(क) जमाकर्ताओं को देय देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशियों/जमा प्रमाणपत्रों के रूप में अथवा इन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में से किन्हीं में अंशतः ;

(ख) किसी राज्य या केंद्र सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित किसी सरकारी कंपनी या सरकारी क्षेत्र के बैंक या सरकारी वित्तीय संस्था या निगम अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत संस्थापित किसी अन्य कंपनी के बाण्डों या डिबेंचरों या वाणिज्यिक पत्रों या

---

[15] अधिसूचना सं. 176 दिनांक 19 सितंबर 2003 द्वारा शामिल किया गया।
[16] अधिसूचना सं. 180 दिनांक 5 अक्तूबर 2003 द्वारा फिर से संख्या दी गई।
[17] अधिसूचना सं. 106 दिनांक 30 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में या ऊपर (क) में दिए गए तरीकों से जमा जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 60 प्रतिशत, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

[18][(i) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का अधिकतम दो प्रतिशत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 द्वारा नियंत्रित किसी म्युच्युअल फंड की किसी योजना/योजनाओं में निवेश किया जाएगा और ऐसे निवेश की कुल राशि जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:]

[19][उपबंध निकाल दिया गया]

(ii) देयताओं की कुल राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत संस्थापित ऐसी कंपनियों के डिबेंचरों, बांडों या वाणिज्यिक पत्रों के रूप में निवेश किया जाएगा जो ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी की कोई कंपनी या कोई सहायक कंपनी, धारक कंपनी या कोई सरकारी कंपनी या कोई सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है।

बशर्ते कि ऐसे बांडों या डिबेंचरों को अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कम-से-कम एए+ या इससे समकक्ष रेटिंग दी गई हो और वाणिज्यिक पत्रों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना आइईसीडी संख्या 1/87 (सीपी)-89/90 दिनांक 11 दिसंबर, 1989 के अनुसार अपेक्षित रेटिंग दी गई हो;

(ग) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत या कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि के दसगुनी राशि का, जो भी, कम हो, किसी भी ऐसे तरीके से निवेश किया जा सकता है जो कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी की नज़र में सुरक्षित हो, बशर्ते कि ऐसी कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि की स्थिति सकारात्मक हो। फिर भी, जहां ऐसी कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि शून्य या नकारात्मक हो तो एंसी कंपनी ऐसी राशि का निवेश ऊपर दिए गए केवल (क) अथवा (ख) के अनुसार करेगी।]

[20][1 जुलाई 2004 को और उस दिन से-

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी ऐसी एक राशि का निवेश करेगी अथवा निवेश करना जारी रखेगी जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइबी के अंतर्गत परिसंपत्ति के रूप में निवेश की गई राशि भी शामिल है, जो 30 सितंबर 2004 को समाप्त तिमाही के किसी दिन कारोबार की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी दिन जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि से कम नहीं होगी। यह निवेश दूसरी अगली तिमाही

---

[18] अधिसूचना सं. 143 दिनांक 30 जून 2000 द्वारा प्रतिस्थापित
[19] अधिसूचना सं. 168 दिनांक 29 मार्च 2003 द्वारा निकाला गया
[20] अधिसूचना सं. 178 दिनांक 22 जून 2004 द्वारा प्रतिस्थापित

के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर (चाहे ऐसी राशियां देय हो गई हों या नहीं) ऐसी प्रतिभूतियों या अन्य प्रकार के निवेशों में किया जायेगा जो भाररहित हैं और जिसका मूल्य निम्नलिखित तरीके से वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक निर्धारित नहीं किया जाता है, अर्थात्-

(क) जमाकर्ता के प्रति देयताओं की कुल राशि के न्यूनतम 10 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मीयादी जमा-राशियों/जमा प्रमाण-पत्रों अथवा विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के जमा प्रमाणपत्रों के रूप में, बशर्ते कि उन जमा प्रमाण-पत्रों को किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कम-से-कम एए+ या उससे समकक्ष की रेटिंग दी गई हो, अथवा इस प्रकार रेटिंग प्राप्त मीयादी जमाराशियों/ जमा प्रमाण-पत्रों में अंशतः ;

(ख) किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा उनके बाजार उधार कार्यक्रम के दौरान जारी की गई प्रतिभूतियों, अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 2) के अंतर्गत संस्थापित किस अन्य कंपनी के बांडों या डिबेंचरों (जिन्हें किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कम-से-कम एए+ या उसके समकक्ष रेटिंग दी गई हो और जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों) के रूप में या खंड (क 1) में दिए गए तरीके से या म्युच्युअल फंडों की ऋणोन्मुखी योजनाओं में जमाकर्ताओं के प्रति देयताओ की कुल राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(i) जमाकर्ताओ के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 15 प्रतिशत किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बाजार उधार कार्यक्रम के दौरान जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा;

(ii) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का अधिकतम दो प्रतिशत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 द्वारा नियंत्रित किसी एक ऋणोन्मुख म्युच्युअल फंड में निवेश किया जाएगा और ऐसे निवेश की कुल राशि जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते कि 1 जुलाई 2004 को और उस दिन से कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, जो उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, अन्य प्रतिभूतियों में तब तक कोई निवेश नहीं करेगी जब तक इस श्रेणी के निवेश में हुई कमी पूरी न कर ली जाए।

बशर्ते किसी बांड या डिबेंचर की क्रेडिट रेटिंग में निर्धारित ग्रेड से गिरावट की स्थिति में वह बांड या डिबेंचर उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अपात्र हो जाएंगे और रेटिंग में हुई गिरावट से उत्पन्न उपर्युक्त पैरा के अनुपालन में हुई कमी को खंड (ग) और (घ) में दिए गए अनुसार प्रतिभूतियों में आगे किए जाने वाले निवेश से पहले पूरा कर लिया जाए।

बशर्ते उसी समूह की धारक कंपनी/सहायक कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर/बांड ऐसे निवेश के लिए योग्य पात्र नहीं होंगे।

(ग) 31 मार्च 2005 से पहले की अवधि के लिए जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत अथवा कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि के दसगुनी राशि का, जो भी कम हो, किसी भी ऐसे तरीके से निवेश किया जा सकता है जो कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी की नजर में सुरक्षित हो;

(घ) 1 अप्रैल, 2005 को और उस दिन से जमाकर्ता के प्रति देयताओं की कुल राशि का अधिकतम दस प्रतिशत अथवा कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि की एक गुनी राशि का, जो भी कम हो, किसी भी ऐसे तरीके से निवेश किया जा सकता है, जो कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी की नजर में सुरक्षित हो।

(ङ) 1 अप्रैल 2006 को और उस दिन से जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का केवल उप पैरा (क) अथवा उप पैरा (ख) के अनुसार निवेश किया जाएगा।]

[21]*[1 अप्रैल 2006 और उस दिन से*

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आइबी के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निवेश की गयी राशि सहित, उन प्रतिभूतियों में या अन्य प्रकार के लिखतों में, जो भार रहित हों और जिनका मूल्यांकन चालू बाजार मूल्य से अधिक नहीं किया जाए, एक धनराशि, जो 31 दिसंबर 2005 को समाप्त तिमाही के किसी दिन और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी दिन, दूसरी पूर्वगामी तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं के प्रति बकाया देयताओं की कुल राशि (चाहे ऐसी राशियां देय हो गयी हों अथवा नहीं) से कम नहीं होगी, निम्नप्रकार से निवेश करेगी और करना जारी रखेगी, अर्थात्

(क) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्य बैंक की मीयादी जमाराशियों/जमा प्रमाणपत्रों में, अथवा विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के जमा प्रमाणपत्रों में, बशर्ते उक्त जमा प्रमाणपत्रों का किसी अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसी द्वारा एए+ रूप में या उनके समकक्ष साख निर्धारण किया गया हो या आंशिक रूप से इन मीयादी जमाराशियों/इस प्रकार साख निर्धारित जमा प्रमाणपत्रों में से किसी में;

---

[21] 31 मार्च 2006 की अधिसूचना सं.186 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 75 प्रतिशत अपने बाजार उधारी कार्यक्रम के दौरान किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों में या कंपनी

अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत निगमित किसी अन्य कंपनी के बांडों या डिबेंचरों (किसी अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसी द्वारा न्यूनतम एए+ रूप में या उसके समकक्ष साख निर्धारित और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध) में या खंड (क) में उल्लिखित रूप में या म्युचुअल फंडों की ऋण उन्मुख योजनाओं में; परंतु यह निवेश इन शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा कि

(i) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का न्यूनतम 15 प्रतिशत बाजार उधारी कार्यक्रम के दौरान जारी की गयी किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जायेगा।

(ii) जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के 2 प्रतिशत से अनधिक किसी एक ऋण उन्मुख म्युचुअल फंड में निवेश किया जायेगा, जो भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (म्युचुअल फंड) नियमावली, 1996 द्वारा नियंत्रित हो तथा ऐसा कुल निवेश जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते कि कोई अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी जो 1 अप्रैल 2006 को और उस दिन से उपर्युक्त अपेक्षा को पूरा नहीं करती है, वह जब तक इस श्रेणी के निवेशों में कमी को पूरा न करले तब तक अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करेगी।

बशर्ते कि किसी बांड या डिबेंचर का साख निर्धारण निर्धारित से निम्न श्रेणी में आ जाने की स्थिति में उक्त बांड या डिबेंचर उपर्युक्त अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए अपात्र हो जाएगा और साख के इस प्रकार निम्न श्रेणी में आ जाने के कारण उपर्युक्त पैराग्राफ के अनुपालन में यदि कोई कमी हो तो खंड (ग) या (घ) में उपबंधित प्रतिभूतियों में आगे कोई निवेश करने से पूर्व उसे पूरा किया जायेगा।

परंतु शर्त यह है कि नियंत्रक कंपनी /अनुषंगी कंपनी/एक ही समूह की कंपनी द्वारा जारी किये गये डिबेंचर/बांड ऐसे निवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ग) 1 अप्रैल 2006 को और उस दिन से जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत या उक्त कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि का एक गुणा, जो भी कम हो, उस प्रकार से निवेश किया जायेगा जो कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी की राय में सुरक्षित हो,

(घ) 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि के स्तर से ऊपर जमाकर्ताओं के प्रति वृद्धिशील देयताओं को 1 जुलाई 2006 को और उस दिन से उपरिलिखित उप पैराग्राफ(क) या उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार ही निवेश किया जायेगा।

(ङ) 1 अप्रैल 2007 को और उस दिन से जमाकर्ताओं के प्रति गत दूसरी तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को देयताओं की कुल राशि केवल उप पैराग्राफ(क) या उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार निवेश की जायेगी।

स्पष्टीकरण

खंड 'घ' के प्रयोजनार्थ 'जमाकर्ताओं के प्रति वृद्धिशील देयताओं' का तात्पर्य है 31 दिसंबर 2005 को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि से जमाकर्ताओं के प्रति अधिक देयताएं।

[22][(2) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी

(i) किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अथवा भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. (एसएचसीएल) में ग्राहकों की सहायक सामान्य बही खाता (सीएसजीएल) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से किसी निक्षेपागार में डीमैट खाता खोलेगी और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइबी तथा अधिसूचना सं. डीएफसी.120/ईडी(जी)-98 दिनांक 31 जनवरी, 1998 के अनुसरण में इस तरह खोले गए सीजीएसएल खाते या डीमैट खाते में अपेक्षित भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां रखेगी;

(ii) उपर्युक्त उप पैरा (1) के खंड (ख) मे निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियों को उक्त सीएसजीएल खाते या डीमैट खाते में रखेगी यदि उनको डीमैट स्वरुप दे दिया गया है; और

(iii) जहां उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, कंपनी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने प्राधिकृत बैंकर के रूप में प्राधिकृत करेगी और ऐसे बैंक अथवा भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. को उपर्युक्त पैरा (1) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट सभी भाररहित जमा रसीदों और प्रतिभूतियों तथा ऐसी भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों को, जिन्हें डीमैट स्वरूप नहीं दिया गया है, कागजी रूप में सौप देगी;

और ऐसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक के नाम और पता, जहां कंपनी ने अपना सीएसजीएल खाता खोला है अथवा प्रतिभूतियों को कागजी रूप में रखा है अथवा भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. का पता जहां उसने अपना सीएसजीएल खाता खोला है अथवा प्रतिभूतियों को कागजी रूप में रखा है अथवा उस निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी का पता, जहां उसने अपना डीमैट खाता रखा है,

---

[22] अधिसूचना सं. 161 दिनांक 1 अक्तूबर 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, लिखित रूप में सूचना देगी जैसा अनुसूची (ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है।

बशर्ते यदि कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी प्राधिकृत बैंकर अथवा भारतीय स्टाकधारिता निगम लि. के उस स्थान से, जहां उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, इतर स्थान पर है, उपर्युक्त खंड (iii) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां सौंपना चाहती है तो वह ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय की लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन से, जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, कर सकती है जैसा अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट किया गया है;]

[23][बशर्ते उक्त सीएसजीएल खाता अथवा डीमैट खाता में रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों का या तो तैयार वायदा संविदा में प्रविष्ट होकर, जिसमें प्रतिगामी वायदा संविदा (रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) भी शामिल हैं, अथवा एक सीमा तक नीचे विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाकर आगे कोई क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा।]

[24][(3) ऊपर उप-पैरा (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियों को जमाकर्ताओं के हित में ऊपर उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट रूप में रखा जाता रहेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से जमाकर्ताओं को की जानेवाली चुकौती के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए अवशिष्ट गैर-बंकिंग कंपनी द्वारा उनका आहरण या नकदीकरण या अन्य रूप में कोई सौदा नहीं किया जाएगाः

बशर्ते,

(i) कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जनता की जमाराशियों में हुई कमी के अनुपात में ऐसी प्रतिभूतियों का एक भाग अपने लेखा-परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित कराकर आहरित कर सकती है।

(ii) यदि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी कागजी रूप में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के बदले में दूसरी प्रतिभूतियां रखना चाहती है तो वह ऐसे आहरण के पहले प्राधिकृत बैंक अथवा भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. को समान मूल्य की प्रतिभूतियां सौंपकर ऐसा कर सकती है; और

(iii) [25][]]

[26][(3ए) *अगर कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं में प्रविष्ट होकर, जिसमें प्रतिगामी तैयार वायदा संविदा भी*

---

[23] अधिसूचना सं. 171 दिनांक 31 जुलाई 2003 द्वारा शामिल।
[24] अधिसूचना स. 161 दिनांक 1 अक्तूबर 2002 द्वारा शामिल।
[25] अधिसूचना सं. 171 दिनांक 31 जुलाई 2003 द्वारा निकाला गया।
[26] अधिसूचना सं. 171 दिनांक 31 जुलाई 2003 द्वारा शामिल ।

शामिल हैं, अथवा अन्यथा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइबी और अधिसूचना सं. डीएफसी.120/ईडी(जी)-98 दिनांक 31 जनवरी, 1998 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षा से अधिक रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों में क्रय-विक्रय करने का इरादा करती है तो ऐसी अपेक्षा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां वह अगले सीएसजीएल या डीमैट खाता मेंरखकर उक्त कारोबार कर सकती है।]

[27] [[28][(4)] प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद कारोबार की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया होगा कि कंपनी द्वारा जुटाई गयी जमाराशि और किए गए निवेश दूसरी अगली तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल बकाया राशि से कम नहीं है।]

[29]***[स्पष्टीकरण***

(i) *'निवल स्वाधिकृत निधि' का अर्थ वही है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइए में परिभाषित किया गया है जिसमें वे प्रदत्त अधिमान शेयर शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तनीय हैं;*

(ii) *"देयताओं की कुल राशि" का अर्थ प्राप्त जमाराशियों की कुल राशि के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार जमाराशियों पर उपचित ब्याज प्रीमियम, बोनस या किसी भी नाम से देय अन्य लाभ की राशि होता है।*

(iii) *"तिमाही" का अर्थ मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होनेवाले तीन महीने की अवधि है।*

(iv) *"अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों" का अर्थ है-*

(क) भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि. (क्रिसिल),

(ख) भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी (इक्रा)

(ग) ऋण विश्लेषण और अनुसंधान लिमिटेड (केयर)

(घ) फिच (एफआईटीसीएच) रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फिच इंडिया)"

---

[27] अधिसूचना सं.106 दिनांक 30 अप्रैल 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
[28] अधिसूचनासं. 161 दिनांक 1 अक्तूबर 2002 द्वारा पुनः संख्या दी गई।
[29] अधिसूचना सं. 178 दिनांक 22 जून 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

(v) 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक' का अर्थ वह बैंक है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा सहकारी बैंक इससे बाहर है।

(vi) 'सरकारी कंपनी' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अंतर्गत परिभाषित कंपनी है।

(vii) 'विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था' का अर्थ इस अधिसूचना की अनुसूची 'घ' में सूचीबद्ध संस्थाएं हैं।

(viii) 'धारक कंपनी', 'अनुषंगी कंपनी', 'उसी समूह की कंपनी' का अर्थ वही होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 में समनुदेशित किया गया है।]

7. जब्ती की समाप्ति

15 मई 1987 को और उस दिन से कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ता द्वारा जमा की गई कोई राशि या उस पर उपचित कोई ब्याज, प्रीमियम बोनस या अन्य लाभ जब्त नहीं करेगी।

8. जमाराशियों के लिए अनुरोध किए जाने वाले फॉर्म में निर्दिष्ट किए जानेवाले ब्यौरे

15 मई, 1987 को और उस दिन से से कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा आपूर्त फॉर्म में जमाकर्ता से प्राप्त लिखित आवेदन के अलावा अन्य किसी तरीके से जमाराशि स्वीकृत, उसका नवीकरण या परिवर्तन नहीं करेगी, उक्त फॉर्म में वे सभी ब्यौरे शामिल होंगे जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58 ए के अंतर्गत निर्मित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली1977 में विनिर्दिष्ट किया गया है। ऐसे आवेदन-पत्र में उस प्रतिलाभ से संबंधित पूर्ण विवरण शामिल होंगे जो जमाकर्ता अपनी जमाराशि पर पाने का हकदार है।

9. जमाकर्ताओं को रसीद दिया जाना

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट से इन निदेशों के जारी होने के पहले या बाद में कंपनी द्वारा जमाराशि के रूप में प्राप्त हुई या होनेवाली प्रत्येक राशि के लिए एक रसीद देना होगा, यदि ऐसी रसीद वह पहले से नहीं दे रही है।

(2) उक्त रसीद कंपनी की ओर से इस कार्य के लिए अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी और उसमें राशि जमा किए जाने की तिथि, जमाकर्ता का नाम, जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त राशि शब्दों और अंकों में तथा उस पर देय ब्याज दर, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ और जिस तिथि को जमाराशि प्रतिदेय होगी, इन सबका विवरण होगा।

10. जमाराशि रजिस्टर

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक या उससे अधिक रजिस्टर (पंजी) रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में अलग-अलग निम्नलिखित ब्यौरों की प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात्

(क) जमाकर्ता का नाम और पता,

(ख) प्रत्येक जमाराशि की तिथि और राशि,

(ग) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और देय तिथि,

(घ) प्रत्येक जमाराशि पर उपचित ब्याज, बोनस या प्रीमियम या अन्य लाभ की तिथि और राशि,

(ङ) प्रत्येक चुकौती की तिथि और राशि,

(च) जमाराशि से संबंधित अन्य कोई विवरण

उपर्युक्त रजिस्टर/रजिस्टरों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और जिस वित्तीय वर्ष में किसी में जमाराशि की चुकौती या नवीकरण के अद्यतन ब्यौरे उक्त रजिस्टर में दर्ज किए गए है, उसके बाद आनेवाले कम-से-कम आठ कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए उस रजिस्टर को सही ढंग से संरक्षित रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी इन निदेशों के जारी होने के बाद युनिटों या प्रमाणपत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री से प्राप्त हुई/प्राप्य जमाराशि से संबंधित अलग से लेखापुस्तिका और रजिस्टर रखेगीः

बशर्ते कंपनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा-बही यदि कंपनी उक्त उपधारा के उपबंध के अनुसार अपने पंजीकृत कार्यालय से इतर किसी स्थान पर रखती है तो इस पैरा का पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि कंपनी उक्त उपधारा के उपंबंध के अंतर्गत इस संबंध में रजिस्ट्रार को दाखिल की गई सूचना की एक प्रति रिज़र्व बैंक को उक्त दाखिले के सात दिन के अंदर दे देती है।

11. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली सूचना

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कपनी के मामले में, इन निदेशों के जारी होने की तिथि के बाद से, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप धारा (1) के अंतर्गत कंपनी की आमसभा में कंपनी के समक्ष रखी जाने वाली निदेशक मंडल की प्रत्येक रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचनाओं के ब्यौरे शामिल किए जाएंगे, यथा-

(क) इन निदेशों के प्रावधानों का अनुपालन;

(ख) कंपनी के ऐसे जमाकर्ताओं की कुल संख्या जिन्होंने संविदा या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुसार चुकौती या नवीकरण की नियत तारीख के बाद भी अपनी जमाराशि पर दावे नहीं किए गए हैं अथवा कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया, जो भी लागू हो; और

(ग) जमाकर्ताओं को देय कुल राशि और उपर्युक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट तिथि के बाद दावा नहीं की गयी या अदत्त राशि उक्त विवरण या सूचना संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी; और

(2) यदि उप पैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार दावा नहीं की गई या अदत्त राशि पांच लाख रुपए के कुल राशि से अधिक है तो जमाकर्ताओं को देय राशि की चुकौती और दावा नहीं की गई या अदत्त राशि के लिए निदेशक मंडल द्वारा की गई या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में एक विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

12. प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपनी लेखा-बही और अपने तुलन पत्र में प्राप्त जमाराशियों की कुल राशि के साथ उस पर उपचित या जमाकर्ताओं को देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ को देयता के रूप में बतायेगी।

13. रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली निदेशक की रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र और लेखे की प्रतियां

प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, हर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार एक लेखा परीक्षित तुलन पत्र और संबंधित लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाता की प्रतियां जिसे कंपनी द्वारा आम सभा में पारित किया गया हो, कंपनी अधिनियम की धारा 217(1) के अनुसार कंपनी की उक्त सभा में सामने रखी गई कंपनी के निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति, उक्त सभा के 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को सुपुर्द करेगी यदि ऐसा उसने पहले नहीं किया है।

14. रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

(1) पैरा 13 के प्रावधानों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी रिज़र्व बैंक के पास अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट तिथियों की स्थिति के अनुसार उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट सूचनाएं प्रस्तुत करने वाली एक विवरणी प्रस्तुत करेगी।

(2) (i) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी इन निदेशों के जारी होने की तिथि अथवा अपना कारोबार प्रारंभ होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, अधिकतम 2 महीने तक रिज़र्व बैंक को एक लिखित विवरण सुपुर्द करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) उसके प्रमुख अधिकारियों के नाम, पदनाम और व्यावसायिक योग्यताएं;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम, उनकी योग्यताएं और उनके आवासीय पते;

(ग) कंपनी की ओर से उप पैरा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर के नमूने और ;

(ii) इस उप पैरा के खंड (i) में निर्दिष्ट सूची में किसी तरह के परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन की तिथि से एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक को दी जाएगी।

15. [30][पर्यवेक्षण] विभाग को प्रस्तुत किए जानेवाले तुलन-पत्र, विवरणी आदि

इन निदेशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले तुलनपत्र, विवरणी अथवा

---

[30] 24 जुलाई1996 की अधिसूचना सं डीएफसी(सीओसी)/88ईडी(जेआरपी)/96 द्वारा प्रतिस्थापित।

अपेक्षित सूचना रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, जैसा कि अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

16. विज्ञापन के बदले में विज्ञापन और विवरण

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 के प्रावधानां का अनुपालन करेगी और इसके अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट करेगीः

(क) ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में जिमाकर्ताओं को दए जाने वाले प्रतिलाभ की वास्तविक दर;

(ख) जमाकर्ताओं को चुकौती की तरीके;

(ग) जमाराशि की परिपक्वता की अवधि;

(घ) किसी विनिर्दिष्ट जमा राशि पर देय ब्याज;

(ङ) यदि जमाकर्ता दुर्घटना बीमा या ऐसे ही किसी अतिरिक्त लाभ के रूप में किसी आकर्षक उपहार/प्रोत्साहन के लिए पात्र है, तो इस तरह के उपहार या अतिरिक्त लाभ की राशि जो कंपनी देती हो;

(च) यदि जमाकर्ता अपनी जमा राशि का अवधि पूर्व आहरण करता है तो जमाकर्ता को देय ब्याज की दर, वे शर्तें जिनके अधीन किसी जमाराशि को पुनः सक्रिय /नवीकृत किया जाएगा;

(छ) उन शर्तों की अन्य विशेषताएं जिनके अधीन जमाराशियां स्वीकार/सक्रिय/नवीकृत की जाती हैं; और

[31][*(ज) कि उसके द्वारा मांगी गई जमाराशि का बीमा नहीं किया जाता है।*]

(2) अगर कोई कंपनी जमा राशि आमंत्रित किये बगैर या किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित करने की अनुमति दिये बगैर या उसके कारण जमाराशि आमंत्रित किये बगैर जमाराशियां स्वीकार करना चाहती है, तो ऐसी जमाराशियां स्वीकार करने के पहले उसे रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, पंजीकरण के लिए, विज्ञापन के बदले मे एक विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 के अनुसार विज्ञापन में शामिल किए जाने वाले सभी अपेक्षित ब्योरे और ऊपर उप पैरा (1) में उल्लिखित उपर्युक्त नियमावली के अनुसार विधिवत रूप से हस्ताक्षरित ब्योरे शामिल होंगे।

(3) उप पैरा (2) के अंतर्गत सुपुर्द कोई विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः महीने तक अथवा उस तिथि तक जब कंपनी की आम सभा में तुलन-पत्र रखा गया हो अथवा अगर किसी वर्ष की वार्षिक आम सभा नहीं हुई है तो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के अनुसार जिस अंतिम तिथि को बैठक की जानी चाहिए थी इसमें जो भी पहले हो, उस तिथि तक वह वैध रहेगा। उक्त वित्तीय वर्ष में जमाराशियां स्वीकृत करने से पहले प्रत्येक परवर्ती वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण सुपुर्द किया जाए।

17. प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जो इन निदेशों के जारी होने के पहले कारोबार नहीं कर रही थी, कोई जमाराशि प्राप्त करने के पहले, रिज़र्व बैंक को अपने कारोबार से संबंधित अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट सभी ब्योरे प्रस्तुत करेगी।

18. अल्पकालिक प्रावधान

इस संबंध में जारी किए गए अथवा जारी किए जाने वाले किसी निदेश के प्रति किसी पूर्वाग्रहके बगैर,

(1) इन निदेशों के जारी होने के पहले बेचे गये या जारी किसी प्रमाण-पत्र, युनिट या अन्य लिखतों के संबंध में प्राप्य अथवा प्राप्त जमाराश्यिों पर पैरा 4 और 5 में निहित कुछ भी लागू नहीं होंगे।

(2) अगर, इन निदेशेां के जारी होने के पहले किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी ने अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश या निर्धारित शर्तों के अनुसरण में या अन्यथा सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक के साथ कोई व्यवस्था की है, तो इन निदेशों के पैरा 6 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे और इन

[31] अधिसूचना सं. डीएनबीएस 161/सीजीएम (सीएसएम)-2002 दिनांक 1 अक्तूबर 2002 द्वारा शामिल।

निदेशों के जारी होने के पहले प्राप्त अथवा प्रमाण-पत्र, युनिटों या अन्य लिखतों के जारी करने या उनकी बिक्री से प्राप्त जमाराशियों पर उक्त व्यवस्था की शर्तें लागू रहेंगी।

19. छूट

रिज़र्व बैंक, यदि कठिनाई टालने के लिए या अन्य किसी उचित और पर्याप्त कारण से आवश्यक समझता है तो किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग के लिए इन निदेशों के सभी प्रावधानों या किसी प्रावधान के अनुपालन का समय बढ़ा सकता है या उनको इनसे सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उन शर्तों के अधीन छूट दे सकता है, जो उस पर रिज़र्व बैंक लगा सकता है।

[32]***[20. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियां स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 का पैरा 12।***

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशियां स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 12 में निहित कोई निदेश अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों पर लागू नहीं होंगे।]

ह/-

(पी. डी. ओझा)

उप गवर्नर

[32] अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

संशोधक अधिसूचनाओं की सूची

1) अधिसूचना सं. 68 दिनांक 10 अप्रैल, 1993

2) अधिसूचना सं. 69 दिनांक 19 अप्रैल, 1993

3) अधिसूचना सं. 75 दिनांक 19 अप्रैल, 1994

4) अधिसूचना सं. 82 दिनांक 22 मार्च, 1996

5) अधिसूचना सं. 85 दिनांक 7 जुलाई 1996

6) अधिसूचना सं. 88 दिनांक 24 जुलाई, 1996

7) अधिसूचना सं. 95 दिनांक 1 जनवरी 1997

8) अधिसूचना सं. 102 दिनांक 31 मार्च 1997

9) अधिसूचना सं.105 दिनांक 31 मार्च 1997

10) अधिसूचना सं. 106 दिनांक 30 अप्रैल 1997

11) अधिसूचना सं. 113 दिनांक 11 नवंबर 1997

12) अधिसूचना सं. 136 दिनांक 13 जनवरी 2000

13) अधिसूचना सं. 143 दिनांक 30 जून 2000

14) अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून 2001

15) अधिसूचना सं. 156 दिनांक 1 जनवरी 2002

16) अधिसूचना सं. 161 दिनांक 1 अक्तूबर 2002

17) अधिसूचना सं. 168 दिनांक 29 मार्च 2003

18) अधिसूचना सं. 169 दिनांक 31 मार्च 2003

19) अधिसूचना सं. 171 दिनांक 31 जुलाई 2003

20) अधिसूचना सं. 176 दिनांक 19 सितंबर 2003

21) अधिसूचना सं. 178 दिनांक 22 जून 2004

22) अधिसूचना सं. 180 दिनांक 25 सितंबर 2004

23) अधिसूचना सं. 183 दिनांक 9 दिसंबर 2005

24) अधिसूचना सं.186 दिनांक 31 मार्च 2006

अनुसूची बी

(कृपया निदेश का पैराग्राफ 15 देखें)

रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र

[कार्यालय के नाम और पते	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र
1. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात राज्य तथा संघशासित क्षेत्र ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली
2. बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8, नृपतुंगा रोड, बंगलूर - 560 002.	कर्नाटक राज्य
3. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पोस्ट बॉक्स सं.32, भोपाल - 462 011.	[33][मध्य प्रदेश और *छत्तीसगढ़* राज्य]
4. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पोस्ट बैग सं. 16, भुवनेश्वर - 751 001.	उड़ीसा राज्य
5. [31][कोलकाता] क्षेत्रीय कार्यालय, 15, नेताजी सुभाष रोड, [31][कोलकाता] - 700 001.	सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघशासित क्षेत्र
6. चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, 11, सेन्ट्रल विस्टा नया कार्यालय भवन टेलीफोन भवन के सामने सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.	हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़

7.	चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय, फोर्ट ग्लासिस, राजाजी पथ, चेन्नै - 600 001.	तमिलनाडु राज्य तथा संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी
8.	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेशन रोड, पान बाज़ार, पोस्ट बॉक्स सं.120, गुवाहाटी - 781 001.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य
9.	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 6-1-56, सेक्रेटेरियट रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.	आंध्र प्रदेश राज्य
10.	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, राम बाग सर्कल, टोंक रोड, पी.बी. सं.12, जयपुर - 302 004.	राजस्थान राज्य
11.	जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बैग सं.1, जम्मू - 180 012.	जम्मू और कश्मीर राज्य
12.	[31]*[कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग,* कानपुर - 208 001.	[31]*[उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य]*

13.	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गार्मेंट हाऊस, 4थी मंजिल, डॉ.एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018.	गोवा और महाराष्ट्र राज्य
14.	नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	हरियाणा राज्य और दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
15.	पटना क्षेत्रीय कार्यालय, गांधी मैदान के दक्षिण, पोस्ट बैग सं.162, पटना-800 001.	[31][बिहार और *झारखण्ड* राज्य]
16.	तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, बेकरी जंक्शन, तिरुवनन्तपुरम-695 033.	केरल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप

अनुसूची - सी

(कृपया निदेशों का पैराग्रफ 17 देखें)

भारतीय रिज़र्व बैंक

[पर्यवेक्षण] विभाग

[31][कोलकाता]/ [मुंबई]/ बंगलूर/ नयी दिल्ली

1. कंपनी का नाम

   पता

   i) पंजीकृत कार्यालय

   ii) प्रशासनिक कार्यालय

   iii) शाखा कार्यालय

2. निगमन की तारीख

3. निदेशक मंडल

अ. निदेशकों के नाम — आवासीय पते सहित

   i)

   ii)

   iii)

आ. कंपनी के प्रधान अधिकारियों के नाम तथा आवासीय पते तथा पदनाम

4. कंपनी के अंतर्नियमों के ज्ञापन की अद्यतन प्रति जिसकी निदेशक द्वारा विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

5. कंपनी की प्रचलित/ प्रस्तावित योजनाओं के प्रकारों के विवरण (जैसे प्रतिलाभ की दर; जमाराशि की अवधि) (पैम्फ्लेट, लिटरेचर, प्रचार साहित्य संलग्न करें)

6. जारी किए जानेवाले प्रस्तावित विज्ञापन के प्रारूप की प्रतिलिपि

7. पूंजी का ढांचा : (राशि लाख रुपए में)

क) प्राधिकृत

ख) जारी

ग) प्रदत्त

[तारीख : प्रबंधक/

प्रबंध निदेशक/

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम :

पदनाम :]

[**अनुसूची (डी)**

विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं की सूची

(कृपया 22 जून 2004 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.178/सीजीएम(डीएसएन)-2004 के पैरा 2 के स्पष्टीकरण में मद (vii) देखें)

1. आइडीबीआइ
2. आइएफसीआइ लि.
3. आइआइबीआइ लि.
4. टीएफसीआइ लि.
5. आइडीएफसी लि.
6. एक्ज़िम बैंक
7. एनएचबी
8. सिडबी
9. नाबार्ड
10. पीएफसी लि.
11. आरईसी लि.
12. आइआरएफसी लि.
13. आइआरईडीए लि.
14. एनईडीएफआइ लि.
15. हूडको लि.
16. यूटीआइ
17. एलआइसी
18. जीआइसी
19. एनआइसी

20. एनआइए

21. ओआइसी

22. यूआइआइ

[34]फार्म - एनबीएस 1ए

31 मार्च 20.. की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की वार्षिक विवरणी

(सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की जाए)

फाईल संख्या	
पहचान संख्या	
कारोबार का स्वरूप	
जिला कोड सं.	
राज्य कोड सं.	
(भारिबैं द्वारा भरा जाएगा)	

कंपनी का नाम : . . . . . .

विवरणी भरने के संबंध में सामान्य अनुदेश

1. यह विवरणी 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी.55/डीजी(ओ)-87 के पैरा(14) के अंतर्गत आनेवाली अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यह विवरणी 31 मार्च के बाद और हर हाल में 30 सितंबर तक वर्ष में एक बार **31 मार्च की स्थिति के संदर्भ में** भेजी जाए, चाहे संबंधित कंपनी की वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख कुछ भी क्यों न हो। इसके साथ दिए गए फॉर्मेट में कंपनी के लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करके इस विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। लेकिन, केवल **भाग-3** के संबंध में उक्त सूचना अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार परंतु इस विवरणी की तारीख से पहले की तारीख के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

विशेष सूचना : *13-1-2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 135/सीजीएम/(वीएसएनएम). 2000 के अनुसार, 31 मार्च 2001 को समाप्त अपने लेखा वर्ष से प्रत्येक वर्ष अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 31 मार्च की स्थिति के अनुसार*

अपने तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखे तैयार करेंगी। अतः 31 मार्च 2001 को समाप्त लेखा वर्ष से विवरणी के भाग-3 की सूचना चालू तुलन-पत्र की तारीख से होगी और इस प्रकार विवरणी की तारीख से मेल खानेवाली होगी।

2. वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा को अंतिम रूप देना/ पूरा करना जैसे किसी भी कारण के लिए इस विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलंब नहीं होना चाहिए। विवरणी का समेकन संबंधित कंपनी की लेखा-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए और कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3. **खातों की वास्तविक संख्या** (आंकड़ों में) दी जानी चाहिए, जबकि **निक्षेपों की राशि लाख रुपए में दर्शायी जानी चाहिए**। राशि निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 4,56,100 रुपये की राशि 5 दर्शाई जानी चाहिए न कि 4.6 या 5,00,000 रुपए। इसी प्रकार 61,49,500 रुपये की राशि को 61.5 या 61,00,000 न दर्शाकर 61 दर्शाया जाएगा।

4. उक्त विवरणी प्रबंधक (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में यथा परिभाषित) द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और यदि कंपनी में ऐसा कोई प्रबंधक नहीं है तो प्रबंध निदेशक अथवा संबंधित कंपनी के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसे निदेशक मंडल ने एतदर्थ विधिवत् प्राधिकृत किया है और जिसके नमूना हस्ताक्षर इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे गये हैं। यदि नमूना हस्ताक्षर विनिर्दिष्ट कार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उक्त विवरणी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए और उसका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत करना चाहिए।

5. विवरणी के किसी भाग/ मद में रिपोर्ट करने हेतु यदि कुछ नहीं है तो संबंधित भाग/ मद में 'खातों की संख्या' के लिए रखे स्तंभ में ***'कुछ नहीं'*** लिखा जाए और **राशि** के लिए रखे गए स्तंभ में ***00*** दर्शाया जाए।

6. इस विवरणी में उल्लिखित 'अनुषंगी कंपनियां' और 'एक ही समूह की कंपनियों' का आशय कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं क्रमशः 4 और 372(11) में दिए गए अर्थ से ही है जो कि 31 अक्तूबर 1998 को कंपनी अधिनियम में किए गए आशोधन के पहले दिखाई देता था।

7. यदि यह विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (इंटरनेट) से विनिर्दिष्ट वेब सर्वर को या फ्लापी डिस्क (साइज 3.5") द्वारा भरी/भेजी जा रही है, तो उसकी विधिवत हस्ताक्षरित मुद्रित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

<u>कंपनी प्रोफाइल</u>

1.	कंपनी का नाम				
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता		पिन		
	फोन सं.		फैक्स सं.		ई-मेल पता
3.	राज्य का नाम जहां कंपनी पंजीकृत है				
4.	कॉर्पोरेट/ प्रधान कार्यालय का पता		पिन		
	फोन सं.		फैक्स सं.		ई-मेल पता
5.	निगमन की तारीख				
6.	कारोबार शुरू होने की तारीख				
7.	नाम और आवासीय पते : i) अध्यक्ष				
	ii) प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी				

8.	क्या यह एक सरकारी कंपनी है (कृपया टिक करें)		हां		नहीं	
9.	कंपनी की हैसियत (कृपया टिक करें) :					
		(i) पब्लिक लि.		(ii) डीम्ड पब्लिक		
		(iii) प्राइवेट लि.		(iv) संयुक्त उद्यम		
10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष					
11.	कारोबार का स्वरूप					
12.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की हैसियत/स्थिति i) पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हो					
	ii)यदि पंजीकृत नहीं है तो क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया गया है/लंबित है।					
13.	शाखाओं/ कार्यालयों की संख्या (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिए गए फार्मेट में उनके नाम और पतों की सूची संलग्न करें)					
14.	यदि अनुषंगी कंपनी है तो कृपया धारक कंपनी का नाम और पता बताएं					

15.	यदि कंपनी की अनुषंगी कंपनियां/ सहयोगी कंपनियां हैं तो उनकी संख्या (कृपया नोट 2 में नीचे दिए गए फार्मेट में उनके नाम, पते, निदेशकों के नाम और कारोबारी कार्यकलापों के ब्योरों की सूची संलग्न करें)	
16.	यदि संयुक्त उद्यम है तो प्रवर्तक संस्था/ संस्थाओं के नाम और पते	
17.	कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम, पते और फोन संख्या	
18.	कंपनी के बैंकरों के नाम, पते और फोन संख्या	

<u>नोट (1) : शाखाओं के ब्योरे प्रस्तुत करने का फार्मेट :</u>

क्रम सं.	शाखा का नाम	खोलने की तारीख	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमाराशि
	शाखाओं की कुल सं.						सभी शाखाओं में जनता की कुल जमाराशि . . . . . (राशि)

							.. . . . . (दिनांक) को तुलन पत्र के अनुसार जनता की कुल जमाराशि . . . . (राशि)

<u>नोट (2) : अनुषंगी कंपनी के ब्योरे प्रस्तुत करने का फार्मेट</u>

क्रम सं.	अनुषंगी कंपनी का नाम	पता	निदेशकों के नाम	कारोबार/ कार्य

भाग - 1

31 मार्च 200... को बकाया जमाराशियों का विवरण

(लाख रुपए में)

मद सं.	विवरण	मद कोड	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (कृपया नोट 3 देखें)
1	अपरिवर्तनीय और विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि (देखें नीचे का नोट 1) :			
	(i) जमानती	111		
	(ii) गैर-जमानती	112		
2	निम्नलिखित से प्राप्त जमाराशियां :			
	(i) शेयरधारकों से	113		
	(ii) अन्य से	114		
3	कुल (111 से 114 तक)	**110**		
4	विवरणी की तारीख को, परिपक्व परंतु दावा न की गई जमाराशियां	115		
5	परिपक्व तथा दावा न की गई और परिपक्वता के वर्ष सहित सात वर्ष के लिए बकाया रही जमाराशियां	116		

नोट :

1. अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों के मामले में, अपरिवर्तनीय अंश इस मद के अंतर्गत शामिल किया जाए और परिवर्तनीय अंश भाग-2 की मद 4 में दर्शाया जाए।
2. भाग-1 में दर्शाई गई राशियां भाग-2 में नहीं दर्शायी जानी चाहिए।
3. मद 2 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में प्रोद्भूत या जमाकर्ता को देय ब्याज शामिल किया जाना चाहिए।

4. मद 5 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि में प्रोद्भूत या जमाकर्ता को देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ सहित प्राप्त जमाराशियों की कुल राशि शामिल की जानी चाहिए।

5. उपर्युक्त मद 2 की कुल जमाराशियों में से जो जमाराशियां किसी योजना के तहत एकमुश्त और/या किस्तों में अंशदान के ज़रिए संग्रह की जाती हैं उनका योजना-वार/ अवधि-वार निम्नलिखित विवरण दिया जाए।

भाग - 1 की मद 2 के तहत दर्शाई गई जमाराशियों का ब्योरा

I. जमाराशियों का अवधि-वार ब्योरा

प्रमाणपत्र की अवधि/मूल्यवर्ग	मद कोड	भाग - ए 15.5.1987 के पहले स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - बी 15.5.1987 को और उस दिन से 11.4.1993 तक स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - सी 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		कुल (ए+ बी + सी)	
		बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(क) 5 वर्ष तक									
i) 5,000 तक	141								
ii) 5,001 - 10,000	142								
iii)10,001 - 15,000	143								
iv)15,001 - 25,000	144								
v) 25,001 - 50,000	145								
vi) 50,000 से ऊपर	146								

कुल	**140**								

प्रमाणपत्र की अवधि/मूल्यवर्ग	मद कोड	भाग - ए 15.5.1987 के पहले स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - बी 15.5.1987 को और उस दिन से 11.4.1993 तक स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - सी 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		कुल (ए+ बी + सी)	
		बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(ख) 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक									
i) 5,000 तक	151								
ii) 5,001 - 10,000	152								
iii)10,001 - 15,000	153								
iv)15,001 - 25,000	154								
v) 25,001 - 50,000	155								
vi) 50,000 से ऊपर	156								
कुल	**150**								

प्रमाणपत्र की अवधि/मूल्यवर्ग	मद कोड	भाग - ए 15.5.1987 के पहले स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - बी 15.5.1987 को और उस दिन से 11.4.1993 तक स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - सी 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		कुल (ए+ बी + सी)	
		बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(ग) 7 वर्ष से अधिक									
i) 5,000 तक	161								
ii) 5,001 - 10,000	162								
iii)10,001 - 15,000	163								
iv)15,001 - 25,000	164								
v) 25,001 - 50,000	165								
vi) 50,000 से ऊपर	166								
कुल	**160**								
कुल जोड़ (140 + 150 + 160)	**170**								

II. जमाराशियों के ब्याज दर के अनुसार ब्यौरे

प्रमाणपत्र की अवधि/ मूल्यवर्ग	मद कोड	ब्याज दर 4%	ब्याज दर 6%		ब्याज दर 8%	ब्याज दर 10%	ब्याज दर 10 % से ऊपर	कुल
			30 जून 2000 से पहले स्वीकार की गई	30 जून 2000 के बाद स्वीकार की गई				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(क) 5 वर्ष तक								
i) 5,000 तक	141ए							
ii) 5,001 - 10,000	142ए							
iii)10,001 - 15,000	143ए							
iv)15,001 - 25,000	144ए							
v) 25,001 - 50,000	145ए							
vi) 50,000 से ऊपर	146ए							
कुल	**140ए**							

प्रमाणपत्र की अवधि/मूल्यवर्ग	मद कोड	भाग - ए 15.5.1987 के पहले स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - बी 15.5.1987 को और उस दिन से 11.4.1993 तक स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - सी 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		कुल (ए+ बी + सी)	
		बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(ख) 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक									
i) 5,000 तक	151ए								
ii) 5,001 - 10,000	152ए								
iii)10,001 - 15,000	153ए								
iv)15,001 - 25,000	154ए								
v) 25,001 - 50,000	155ए								
vi) 50,000 से ऊपर	156ए								
कुल	**150ए**								

प्रमाणपत्र की अवधि/मूल्यवर्ग	मद कोड	भाग - ए 15.5.1987 के पहले स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - बी 15.5.1987 को और उस दिन से 11.4.1993 तक स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		भाग - सी 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकार की गई जमाराशियां/ बेचे गए प्रमाणपत्र		कुल (ए+ बी + सी)	
		बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि	बकाया प्रमाण-पत्रों की संख्या	जमा-राशियों की कुल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(ग) 7 वर्ष से अधिक									
i) 5,000 तक	161ए								
ii) 5,001 - 10,000	162ए								
iii)10,001 - 15,000	163ए								
iv)15,001 - 25,000	164ए								
v) 25,001 - 50,000	165ए								
vi) 50,000 से ऊपर	166ए								
कुल	**160ए**								
कुल जोड़ (140ए + 150ए + 160ए)	**170ए**								

नोट :

1. स्तंभ 4, 6, 8 और 10 के तहत दर्शाई गई राशियां जारी प्रमाणपत्रों/ स्वीकार की गई जमाराशियों के मूल्यवर्गों का योग होना चाहिए और इसमें जमाकर्ताओं को प्रोद्भूत या देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम और अन्य लाभों का समावेश **नहीं** किया जाना चाहिए।

2. जारी प्रमाणपत्रों/ स्वीकृत जमाराशियों का अवधि-वार वर्गीकरण उनके मूलतः जारी/ स्वीकृत/ नवीकृत अवधियों के अनुसार किया जाना चाहिए, उन अवधियों के अनुसार नहीं जहां से जैसे 31 मार्च अर्थात् इस विवरणी की तारीख से उनको लागू होना है।

3. बचत योजनाओं के प्रकार, अंकित मूल्य, अवधि, संख्या और देय किस्तों की राशि और ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, चाहे जिस किसी नाम से हो, के रूप में देय राशि के संक्षिप्त ब्योरे संलग्नक/ संलग्नकों के रूप में दिए जाएं।

भाग - I की मद 2 में दर्शाई जमाराशियों के संबंध में चूक के ब्यौरे

विवरण	मद कोड	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	अंकित मूल्य	**31.3.20**. . . को स्तंभ (3) के संबंध में जमाराशियों की कुल राशि
क. कुल जमाराशियों में से	181			
i) वे जो परिपक्व हुई हैं/ देय हुई हैं परंतु उनका दावा नहीं किया गया				
ii) वे जो परिपक्व हुई हैं/ देय हुई हैं/ अभ्यर्पित/ जिनका दावा किया गया लेकिन चुकौती नहीं हुई है				
क) वर्ष के प्रारंभ में बकाया	182			
ख) उक्त (क) में से वर्ष के दौरान चुकाई गई	183			
ग) वर्ष के दौरान परिपक्व/ अभ्यर्पित/ दावा की गई परंतु उक्त वर्ष में चुकाई नहीं गई अर्थात् वर्ष के दौरान वृद्धि	184			
घ) वर्ष के अंत में बकाया	185			
ङ) उक्त (घ) में से जो मुकदमेबाजी में फंसी हैं	186			
ख. कुल जमाराशियों में से				
i) वर्ष के दौरान बेचे गए/ जारी प्रमाणपत्र	187			
ii) वर्ष के दौरान नवीकृत/ पुनःप्रवर्तित प्रमाणपत्र	188			

नोट :

प्रत्येक जमाराशि की अदायगी न किए जाने के कारण तथा चुकौती के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी संलग्नक में दी जाए।

भाग - 2

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आइ (बीबी) के अनुसार

जमाराशियों के रूप में न गिने जानेवाले छूट प्राप्त उधारों के विवरण

मद सं.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1.	बैंकों और अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार	201		
2.	जमानत जमाराशियों के रूप में कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त धन	202		
3.	कंपनी के कारोबार के दौरान खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से जमानत या अग्रिम के रूप में प्राप्त धन या वस्तुओं या संपत्तियों की आपूर्ति के आदेशों पर या सेवाएं प्रदान करने के आदेशों पर प्राप्त अग्रिम	203		
4.	परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के निर्गम द्वारा प्राप्त धन (भाग-1 की मद सं.1 भी देखें)	204		
5.	किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर/ बाण्ड जिनका आबंटन विचाराधीन/लंबित है, में अभिदान के रूप में प्राप्त राशि अथवा संस्था के अंतर्नियम के अनुसरण में शेयरों पर अग्रिम में मांग के रूप में प्राप्त राशि, जब तक ऐसी राशि कंपनी के/संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्गत शेयरधारकों को प्रतिदेय नहीं है	205		
6.	कुल (201 से 205)	200		

भाग - 3

निवल स्वाधिकृत निधि

[विवरणी की तारीख की पूर्ववर्ती तारीख को अद्यतन तुलन पत्र अथवा विवरणी की तारीख को तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करें]

[दिनांक .. . . को तुलनपत्र]

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	पूंजीगत निधियां :		
	(i) प्रदत्त ईक्विटी पूंजी	311	
	(ii) मुक्त आरक्षित निधियां*	312	
2.	**कुल (311+312) - ए**	**310**	
3.	(i) हानि का संचित शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का शेष	322	
	(iii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कृपया स्पष्ट करें)	323	
4.	**कुल (321 से 323) - बी**	**320**	
5.	**स्वाधिकृत निधि अर्थात् सी=(310 - 320) अर्थात् (ए-बी)**	**330**	
6.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेशों का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की अनुषंगी कंपनियां	341	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	342	
	(iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (संलग्नक सं. . . . . में ब्योरे दिए गए हैं)	343	

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
7.	निम्नलिखित के डिबेंचरों और बांडों का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की अनुषंगी कंपनियां	344	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (संलग्नक सं. . . . में ब्योरे दिए गए हैं)	345	
8.	बकाया ऋण तथा अग्रिम (जिसमें अंतर-कंपनी जमाराशि, किराया-खरीद तथा पट्टेदारी वित्त शामिल हैं**) जो निम्नलिखित को दिए गए थे और निम्नलिखित के पास रखी गई जमाराशियां		
	(i) संबंधित कंपनी की अनुषंगी कंपनियां	346	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (संलग्नक सं. . . . में ब्योरे दिए गए हैं)	347	
9.	341 से 347 तक का कुल = **डी**	**340**	
10.	340 की राशि जो 330 के 10% से अधिक है =**ई**	**350**	
11.	निवल स्वाधिकृत निधि (330-350) अर्थात् **एफ = (सी-ई)**	**300**	

टिप्पणी:

* यहां भाग 3 की मद 1 में उल्लिखित 'मुक्त आरक्षित निधियों' में शेयर प्रीमियम खाते की शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधियां तथा तुलनपत्र में दर्शाई अथवा प्रकाशित की गई अन्य आरक्षित निधि जो लाभों के आबंटन (लाभ-हानि लेखे के जमा शेष सहित) के माध्यम से निर्मित निधि शामिल हैं परंतु

(i) भविष्य की किसी देयता की चुकौती के लिए या परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए या अनर्जक परिसंपत्तियों/ अशोध्य ऋणों के प्रावधान के लिए बनाई गई निधि नहीं हैं; या

(ii) संबंधित कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा निर्मित निधि नहीं है

** 'किराया खरीद ' जोखिमों से तात्पर्य होगा किराये पर लिए स्टॉक में से अपरिपक्व वित्त प्रभारों को घटाना। 'पट्टा वित्त' का अर्थ होगा पट्टे पर परिसंपत्तियों का लिखित मूल्य +/- पट्टा समायोजन खाता।

भाग - 4

पूर्ववर्ती 30 सितंबर तथा 31 मार्च 20---, इस विवरण की तारीख

को जमाकर्ताओं के लिए जमानत से संबंधित विवरण

नामित बैंक तथा शाखा का नाम _____

मद सं.	विवरण	मद कोड	निर्देशों के प्रारंभ होने अर्थात् 15 मई 1987 के पूर्व		निर्देशों के प्रारंभ होने अर्थात् 15 मई 1987 के बाद	
			30.9.20....	31.3.20....	30.9.20....	31.3.20....
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	जमाराशियों की कुल रकम (कृपया टिप्पणी 1 देखें)	400				
2.	भारिबैं अधिनिम 1934 की धारा 45 आइबी के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	410				
3.	**जमाराशियों के लिए जमानत** (किसी प्रकार के प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार से मुक्त)					
	(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक/बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र तथा मीयादी जमा राशियां	411				

	(ख)	केंद्र तथा/ अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों तथा उपर्युक्त 2 में रिपोर्ट की गई प्रतिभूतियोंसेभिन्न अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (बाज़ार मूल्य पर)	412				
	(ग)	निम्नलिखित के कम से कम एए+ या इसके समतुल्य साख श्रेणीवाले ऐसे डिबेंचर्स/ बांड/ वाणिज्य पत्र में निवेश (बाज़ार मूल्य पर)					
	i)	उसी समूह की कंपनियों/ अनुषंगी कंपनियों से इतर कंपनियां	413				

मद सं.	विवरण		मद कोड	निर्देशों के प्रारंभ होने अर्थात् 15 मई 1987 के पूर्व		निर्देशों के प्रारंभ होने अर्थात् 15 मई 1987 के बाद	
				30.9.20....	31.3.20....	30.9.20....	31.3.20....
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ii)	सरकारी कंपनी अथवा सरकारी क्षेत्र बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्था अथवा केंद्र अथवा राज्य अधिनियमनों द्वारा स्थापित अथवा गठित कोई निगम	414				
	(घ)	निम्नलिखित की यूनिटों में निवेश (बाज़ार मूल्य पर)					
	i)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	415				
	ii)	सेबी द्वारा अनुमोदित अन्य म्युच्युअल फंड (म्युच्युअल फंड-वार आंकड़ों सहित	416				

टिप्पणियां :

1. 'जमाराशियों की कुल राशि' का अर्थ होगा, जमाकर्ताओं को देय अथवा उपचित ब्याज, बोनस, प्रीमियम अथवा अन्य लाभ सहित प्राप्त जमाराशियों की राशि। इस भाग की मद सं.1 के समक्ष स्तंभ 5तथा 7 के अंतर्गत राशियों का कुल योग, भाग-I की मद सं.2 से मेल खाना चाहिए।

2. यदि उपर्युक्त मद सं.3 (क) तथा 3(ख) के समक्ष निवेश, 15.5.1987 की अधिसूचना सं.डीएफसी.55/ डीजी(ओ)-87 के पैराग्राफ 6(क) तथा (ख) में निर्धारित न्यूनतम से कम हैं तो कंपनी को संलग्न पत्र में उसके कारण स्पष्ट करने होंगे।

3. उपर्युक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 6(3) के अनुसार जिस सरकारी क्षेत्र के बैंक को उपर्युक्त प्रतिभूतियां सौंपी गई हैं उसका नाम दें। यदि किसी बैंक को प्रतिभूतियां नहीं सौंपी हैं तो संलग्न पत्र में उसके कारण स्पष्ट करें।

4. कृपया उपर्युक्त मद सं.2 तथा 3 के समक्ष उल्लिखित मीयादी जमाराशियों/ प्रतिभूतियों के पूर्ण विवरण दें, तथा अनुबंध में उनके बही मूल्य तथा बाज़ार मूल्य (प्रतिभूतियों के मामले में) दर्शाएं। (अनुबंध सं. . .)

भाग - 5

बही मूल्य पर निवेशों को दर्शानेवाला विवरण

(भाग-3 की मद सं.6 तथा 7 में उल्लिखित निवेशों से इतर)

मद सं.	विवरण		मद कोड	राशि
1	कंपनियों के शेयरों में तथा कंपनियों द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश तथा ऐसी फर्में तथा स्वामित्व प्रतिष्ठानों की पूंजी में अंशदान जहां कंपनी के निदेशकों ने पर्याप्त हित है। (कृपया टिप्पणी देखें) (ब्योरे अनुबंध सं. . . . . में)		511	
2	अन्य कंपनियों के शेयर, डिबेंचरं/ बांड तथा वाणिज्यिक पत्र		512	
3	अन्य निवेश			
	(i)	बैंकों में मीयादी जमाराशियां/ बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र (भाग-4 में सम्मिलित से इतर)	513	
	ii)	बैंक(बैंकों) में किसी अन्य जमा खातों में शेष	514	
	iii)	अन्य (कृपया बही मूल्य तथा बाज़ार मूल्य को दर्शानेवाली सूची प्रस्तुत करें)	515	
4.	कुल (513 से 515)		520	
5.	कुल योग (511+512+520)		**500**	

टिप्पणियां

1. 'पर्याप्त हित' का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी/ पति अथवा नाबालिग बच्चे द्वारा या तो एकल रूप में या साथ मिलकर, किसी कंपनी के शेयरों में लाभदायी हित के रूप में उतनी राशि की अदायगी जो कंपनी की प्रदत्त पूंजी अथवा किसी भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है।

2. निवेश खाते अथवा 'स्टाक इन ट्रेड' के रूप में रखे गए शेयर, डिबेंचर तथा वाणिज्यिक पत्रों के ब्योरे इस भाग में शामिल करें।

3. कंपनियों के पास मीयादी जमाराशियों को यहां शामिल **न** करें बल्कि भाग 3 तथा 6 में दर्शाएं।

भाग - 6

बकाया ऋण जोखिम अर्थात् ऋण तथा अग्रिम, किराया खरीद तथा

उपकरण पट्टा, बिल भुनाई, अंतर-कंपनी जमाराशियां

(भाग-3 की मद 8 में उल्लिखित से भिन्न) दर्शानेवाला विवरण

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	ऐसी कंपनियां, फर्में तथा स्वामित्व कंपनियां जिनमें कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित हैं (कृपया भाग-5 की टिप्पणी-1 देखें) ब्योरे संलग्नक सं. . . . . में हैं	601	
2.	अन्य :		
	(i) उसी समूह से इतर कंपनियां	611	
	(ii) निदेशक	612	
	(iii) शेयरधारक	613	
	(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य कर्मचरी	614	
	(v) क्रेता, विक्रेता तथा अन्य एजेंट	615	
	(vi) जमाकर्ता	616	
	(vii) अन्य	617	
3.	कुल (611 से 617)	620	
4.	कुल योग (601 + 620)	**600**	

टिप्पणी :

विविध देनदार, अग्रिम अदा किया गया कर तथा अन्य वसूली योग्य मदें जो ऋण तथा अग्रिम प्रकृति की नहीं है, इन्हें इस विवरण में न दर्शाएं।

भाग - 7

31 मार्च 20. . . को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार आंकड़े / सूचना

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1	I. संवितरण (निधि-आधारित गतिविधियां) : उपकरण पट्टेदारी :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	701	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	702	
2	किराया खरीद :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	703	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	704	
3	ऋण (क) कंपनियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	705	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	706	
	(ख) व्यक्तियों को शेयरों की जमानत पर ऋण :		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	707	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	708	
	(ग) दलालों को शेयरों की जमानत पर ऋण		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	709	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	710	
	(घ) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) के वित्तपोषण के लिए ऋण :		

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	711	
	ii) वर्ष केदौरान कुल संवितरण	712	
	(ङ) अंतर कंपनी ऋण/ जमाराशियां		
	i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	713	
	ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	714	
	(च) अन्य	715	
4.	खरीदे/ भुनाए गए बिल		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	716	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	717	
5.	उपर्युक्त 4 में से भुनाए गए बिल		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	718	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	719	
6.	**II. शेयरों/ प्रतिभूतियों में व्यापार (एसएलआर से इतर उद्धृत)** शेयर/ डिबेंचर/ वाणिज्यिक पत्रों की खरीद/ बिक्री क. खरीद	720	
	ख. बिक्री	721	
7.	III. शुल्क आधारित गतिविधियां पूंजी बाज़ार में लेनदेन के लिए जारी गारंटियां : (क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	722	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	723	

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
8.	अन्य प्रयोजनों से जारी की गई गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष	724	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	725	
9	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड पट्टा/ किराया खरीद	726	
10	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड ऋण/ अंतर-कंपनी जमाराशियां	727	
11	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड ऋण	728	
12	हामीदारी : (क) हामीदारी की कुल राशि	729	
	(ख) सौंपी गई राशि	730	
	(ग) बकाया बाध्यताएं	731	

भाग - 8

अतिदेयों की स्थिति

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1	12 महीने से अधिक पट्टा अतिदेय	801	
2	12 महीनों तक पट्टा अतिदेय	802	
3	12 महीनों से अधिक किराया खरीद अतिदेय	803	
4	12 महीनों तक किराया खरीद अतिदेय	804	
5	6 महीनों से अधिक अन्य अतिदेय	805	
6	6 महीनों तक के अन्य अतिदेय	806	
7	**कुल (801 से 806)**	**810**	

भाग - 9

चयनित आय तथा व्यय के मानदंडों का विवरण

(कृपया नीचे दिए गए अनुदेश देखें)

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
	निधि-आधारित आय :		
1	सकल पट्टा आय, यदि है	901	
2	पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति +/- पट्टा समकरण को घटाकर	902	
3	निवल पट्टा आय (901 - 902)	903	
4	किराया खरीद आय, यदि है	904	
5	बिलों की भुनाई से आय	905	
6	निवेश आय (क) मीयादी जमा/ जमा प्रमाणपत्रों से	906	
	(ख) सरकारी/ अनुमोदित प्रतिभूतियों से	907	
	(ग) अन्य निवेशों पर लाभांश/ ब्याज	908	
	(घ) शेयर/ डिबेंचर/ वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री से लाभ/हानि (+/-)	909	
7	ब्याज आय (क) अंतर-कंपनी जमाराशियां/ ऋण	910	
	(ख) अन्य ऋण तथा अग्रिम	911	
	(ग) ब्रोशर आवेदन फार्म जारी करने के लिए तथा जमाकर्ता के खाते की सेवा के व्यय की लागत के प्रति नये जमाकर्ता/ अभिदाता से एक-बार प्रभार	912	
	(घ) बिल की भुनाई से आय (पुनः भुनाई प्रभारों का निवल)	913	

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
8	अन्य निधि-आधारित आय (कृपया स्पष्ट करें)	914	
9	कुलनिधि-आधारित आय **(903 से 914)**	**920**	
10	**शुल्क आधारित आय** मर्चंट बैंकिंग गतिविधियों से आय	921	
11	**हामीदारी कमीशन**	922	
12	**बिलों, ऋण, अंतर-कंपनी जमाराशियों, पट्टा तथा किराया खरीद के सिंडिकेशन से आय**	923	
13	विविध आय	924	
14	**कुल शुल्क आधारित आय (921 से 924)**	930	
15	**कुल आय (920 + 930)**	940	
16	**ब्याज तथा अन्य वित्तपोषण लागत** मीयादी जमा पर प्रदत्त ब्याज	941	
17	अंतर-कंपनी जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज	942	
18	दलाली/ एजेंट कमीशन	943	
19	दलालों/ एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति	944	
20	अन्य वित्तपोषण लागत	945	
21	बिलों की पुनर्भुनाई के प्रभार	946	
22	**कुल वित्तपोषण लागत (941 से 946)**	950	
23	**परिचालनगत व्यय** कर्मचरी लागत	951	
24	अन्य प्रशासनिक लागत	952	
25	**कुल परिचालनगत व्यय (951 + 952)**	955	

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
26	स्वयं की परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	956	
27	परिशोधित अमूर्त परिसंपत्तियां	957	
28	निवेशों के मूल्य में होनेवाली कमी के लिए प्रावधान	958	
29	अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	959	
30	अन्य प्रावधान यदि है	960	
31	**कुल व्यय (950 +955+956 से 960 तक)**	970	
32	**कर पूर्व लाभ (940 - 970)**	980	
33	**कर**	990	
34	**कर पश्चात् लाभ (980 - 990)**	900	

अनुदेश :

(1) इस भाग के विवरण पूरे वित्तीय वर्ष संबंधी होने चाहिए। यदि कंपनी अपनी बहियां 31 मार्च के अलावा किसी अन्य तारीख को बंद करती है तो बहियों को बंद करने की तारीख तथा अवधि दर्शाई जानी चाहिए।

(2) 'कुल पट्टा आय' में पट्टा किराया (रिबेट को घटाकर), पट्टा प्रबंधन शुल्क, पट्टा सेवा प्रभार, वैध शुल्क, पट्टाकृत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और पट्टा कारोबार संबंधी विलंबित/देरी से किए भुगतान पर प्रभार (किए गए/ अंतिम रूप दिए गए पट्टा करारों के संबंध में परिसंपत्तियों की खरीद के लिए दिए अग्रिम भुगतान पर लगाए ब्याज/ क्षतिपूर्ति प्रभार सहित) का समावेश है।

(3) 'पट्टा समकरण लेखे' का अर्थ वही है जो आइसीएआइ द्वारा जारी पट्टे संबंधी लेखाकरण पर मार्गदर्शी नोट (संशोधित) में दिया गया है।

(4) 'किराया खरीद आय' में वित्त प्रभार (रिबेट को घटाकर), किराया सेवा प्रभार, विलंबित/देरी से किए गए भुगतान पर प्रभार, वैध शुल्क और किराया खरीद कारोबार से संबंधित अन्य आय (अभिनिर्धारित किरायेदारों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल है।

प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित निदेशों का पालन किया जा रहा है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में प्रस्तुत विवरण/ जानकारी सत्यापित की गई है और सभी प्रकार से सही और संपूर्ण पाई गई है।

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में प्रस्तुत सूचना के संबंध में _____ कंपनी लि. द्वारा रखी गई लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है और हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों में दी गई सूचना के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत जानकारी सही है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : सनदी लेखाकार का नाम

विवरणी के संलग्नक :

1. निम्नलिखित दस्तावेज़ यदि पहले नहीं भेजे गए हैं तो विवरणी के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो दस्तावेज़ संलग्न किए गए हैं उनकी मदों के सामने बॉक्स में कृपया निशान (टिक) लगाएं और अन्य मामलों में उनके प्रस्तुतीकरण की तारीख लिखें।

   (i) विवरणी की तारीख के निकटतम तारीख के लेखा-परीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखे की एक प्रति

   (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड

(iii) दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफसी.55/ डीजी(ओ)-87 के पैरा 8 में निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र की एक प्रति

2. संलग्न फॉर्म में प्रधान अधिकारियों और निदेशकों के नाम और पते की एक सूची इस विवरणी के साथ भेजी जानी है।

भाग - 10

---------- लि. के प्रधान अधिकारियों और निदेशकों की सूची

I. प्रधान अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पता और टेलीफोन सं.	यदि किसी कंपनी/ किन्हीं कंपनियों में निदेशक हैं तो कंपनी/ कंपनियों के नाम

II. निदेशक

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक, उसकी पत्नी/ उसके पति और अवयस्क बच्चों की कंपनी के ईक्विटी शेयरों में धारिता का %	अन्य कंपनियों के नाम जहां वह निदेशक हैं

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत

पदाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :_____

पदनाम :_____

स्थान : _____

दिनांक : _____